न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/352

1. स्वर्गीय गोपाल कृष्ण आत्मज श्री सावर लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मानसगॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   - 1/1. त्रिलोक चन्द आत्मज स्व0 गोपाल कृष्ण जी जाति ब्राह्मण निवीस ग्राम मानसगॉव हाल निवासी मकान नं0 707 बसन्त बिहार, कोटा ।
   - 1/2. प्रदीप कुमार आत्मज स्व0 गोपाल कृष्ण जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मानसगॉव हाल निवीस मकान नं0 920 महावीर नगर द्वितीय, कोटा ।
   - 1/3. ललित किशोर आत्मज स्व0 गोपाल कृष्ण जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मानसगॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   - 1/4. श्रीमती मनोरमा पुत्री स्व0 गोपाल कृष्ण जी पत्नी बाबूलाल जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मण्डोला तहसील बारां जिला बारां ।
   - 1/5. श्रीमती मधु शर्मा पुत्री स्व0 गोपाल कृष्ण जी पत्नी श्री गजेन्द्र जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी आई–6 जवाहर नगर, कोटा ।
   - 1/6. श्रीमती ममता शर्मा पुत्री स्व0 गोपाल कृष्ण जी पत्नी श्री दुर्गेश जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी श्री सीमेन्ट टाउन शिव ब्यावर जिला अजमेर ।

----अपीलान्ट

बनाम

1. स्व0 बालकृष्ण आत्मज श्री सावर लाल जी जाति ब्राह्मण निवीस ग्राम मानसगॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) कायममुकामान :–
   - 1/1. मनोज कुमार शर्मा आत्मज स्व0 बालकृष्ण जी जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 1–च–19 टीचर्स कॉलोनी, केशोपुरा कोटा ।
   - 1/2. श्याम सुन्दर शर्मा आत्मज स्व0 बालकृष्ण जी जाति ब्राह्मण निवासी शिव विद्यामंदिर सीनियर सैकण्डरी स्कूल, किशोरपुरा, कोटा ।
   - 1/3. शिवराज शर्मा आत्मज स्व0 बालकृष्ण जी जाति ब्राह्मण निवासी शिव विद्यामंदिर सीनियर सैकण्डरी स्कूल, किशोरपुरा, कोटा ।
   - 1/4. सुनील कुमार आत्मज स्व0 बालकृष्ण जी जाति ब्राह्मण निवासी शिव विद्यामंदिर सीनियर सैकण्डरी स्कूल, किशोरपुरा, कोटा ।
   - 1/5. श्रीमती शिव कान्त पुत्री स्व0 बालकृष्ण जी पत्नी श्री बसन्त कुमार जी दुबे जाति ब्राह्मण निवासी सी–59 श्रीनाथ पुरम् सेक्टर – सी, वार्ड नम्बर –07, कोटा ।
   - 1/6. श्रीमती इन्द्रा शर्मा पुत्री स्व0 बालकृष्ण जी पत्नी श्री गोपाल जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कोटन फैक्ट्री के पीछे शिवलोक बसन्त नगर, चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ ।
   - 1/7. श्रीमती विद्या शर्मा पुत्री स्व0 बालकृष्ण पत्नी मुकेश कुमार जी जाति ब्राह्मण निवासी खमेसरा नगर चित्तौडगढ़ जिला चित्तौडगढ ।
   - 1/8. श्रीमती विजय कुमारी पत्नी स्व0 बालकृष्ण जी जाति ब्राह्मण निवासी शिव विद्या मंदिर सीनियत सैकण्डरी स्कूल किशोरपुरा, कोटा ।

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. श्रीमती कृष्णा देवी विधवा पत्नी स्व0 श्री धन्ना लाल जाति ब्राह्मण निवासी अखाडा की गली झालरापाटन जिला झालावाड ।

———रेस्पोडन्ट

अपील संख्या : 18/364

1. स्व0 बालकृष्ण आत्मज श्री सावर लाल जी जाति ब्राह्मण निवीस ग्राम मानसगॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) कायममुकामान :—
   - 1/1. श्रीमती विजय कुमारी पत्नी स्व0 बालकृष्ण जी जाति ब्राह्मण निवासी शिव विद्या मंदिर सीनियत सैकण्डरी स्कूल किशोरपुरा, कोटा ।
   - 1/2. मनोज कुमार शर्मा आत्मज स्व0 बालकृष्ण जी जाति ब्राह्मण निवासी मकान नम्बर 1—च—19 टीचर्स कॉलोनी, केशोपुरा कोटा ।
   - 1/3. श्याम सुन्दर शर्मा आत्मज स्व0 बालकृष्ण जी जाति ब्राह्मण निवासी शिव विद्यामंदिर सीनियर सैकण्डरी स्कूल, किशोरपुरा, कोटा ।
   - 1/4. शिवराज शर्मा आत्मज स्व0 बालकृष्ण जी जाति ब्राह्मण निवासी शिव विद्यामंदिर सीनियर सैकण्डरी स्कूल, किशोरपुरा, कोटा ।
   - 1/5. सुनील कुमार आत्मज स्व0 बालकृष्ण जी जाति ब्राह्मण निवासी शिव विद्यामंदिर सीनियर सैकण्डरी स्कूल, किशोरपुरा, कोटा ।
   - 1/6. श्रीमती शिव कान्त पुत्री स्व0 बालकृष्ण जी पत्नी श्री बसन्त कुमार जी दुबे जाति ब्राह्मण निवासी सी—59 श्रीनाथ पुरम् सेक्टर — सी, वार्ड नम्बर —07, कोटा ।
   - 1/7. श्रीमती इन्द्रा शर्मा पुत्री स्व0 बालकृष्ण जी पत्नी श्री गोपाल जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी कोटन फैक्ट्री के पीछे शिवलोक बसन्त नगर, चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ ।
   - 1/8. श्रीमती विद्या शर्मा पुत्री स्व0 बालकृष्ण पत्नी मुकेश कुमार जी जाति ब्राह्मण निवासी खमेसरा नगर चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. स्वर्गीय गोपाल कृष्ण आत्मज श्री सावर लाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मानसगॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   - 1/1. त्रिलोक चन्द आत्मज स्व0 गोपाल कृष्ण जी जाति ब्राह्मण निवीस ग्राम मानसगॉव हाल निवासी मकान नं0 707 बसन्त बिहार, कोटा ।
   - 1/2. प्रदीप कुमार आत्मज स्व0 गोपाल कृष्ण जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मानसगॉव हाल निवीस मकान नं0 920 महावीर नगर द्वितीय, कोटा ।
   - 1/3. ललित किशोर आत्मज स्व0 गोपाल कृष्ण जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मानसगॉव तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
   - 1/4. श्रीमती मनोरमा पुत्री स्व0 गोपाल कृष्ण जी पत्नी बाबूलाल जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मण्डोला तहसील बारां जिला बारां ।

1/5. श्रीमती मधु शर्मा पुत्री स्व0 गोपाल कृष्ण जी पत्नी श्री गजेन्द्र जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी आई–6 जवाहर नगर, कोटा ।
1/6. श्रीमती ममता शर्मा पुत्री स्व0 गोपाल कृष्ण जी पत्नी श्री दुर्गेश जी शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी श्री सीमेन्ट टाउन शिव ब्यावर जिला अजमेर ।

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, तहसील लाडपुरा जिला कोटा ।
3. श्रीमती कृष्णा देवी विधवा पत्नी स्व0 श्री धन्ना लाल जाति ब्राह्मण निवासी अखाडा की गली झालरापाटन जिला झालावाड ।

———रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से अपील सं0 18/352 में एवं अपील संख्या 18/364 में रेस्पोडेन्ट कम 1/1 से 1/6 की ओर से ।
2. श्री राजेन्द्र प्रसाद माथुर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से अपील संख्या 18/352 में एवं अपील संख्या 18/364 में अपीलान्ट की ओर से ।
3. श्री जगदीश नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 3 की ओर से दोनों अपीलों में ।

निर्णय

दिनांकः 27.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त दोनों अपीलें अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 01.06.2017 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. उक्त दोनों अपीलें समान प्रकृति की होने तथा एक ही अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ होने तथा समान पक्षकार होने से उक्त दोनों अपीलों का निर्णय इस एकल निर्णय से किया जा रहा है । निर्णय अलग–अलग पत्रावली में संलग्न किया जावे ।

3. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी मृतक बालकृष्ण ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के अन्तर्गत ग्राम मानसगॉव की तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी कुल 11 किता की रकबा 10.12 हैक्टर भूमि के सम्बन्ध में पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी कम 1 के मध्य बांट बराबर से बंटवारा कर वादी के हिस्से की आराजी 5.06 हैक्टर को वादी के पृथक खाते दर्ज कर पृथक से लगान कायम किया जावे तथा इसी अनुसार प्रतिवादी कम 1 का हिस्सा भी उसके पृथक खाते में दर्ज किया जाकर समस्त राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने की डिकी पारित की जावे ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 12.03.1996 के द्वारा वाद वादी स्वीकार करते हुए दावा डिकी कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक

12.03.1996 के व्यथित होकर प्रतिवादीगण ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में अपील पेश की जिसे न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 10.12.1999 के द्वारा अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित कर दिया ।

5. न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा पारित निर्णय की पालना में प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर करते हुए प्रकरण को लोक अदालत में रखते हुए अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 को वादीगण का वाद स्वीकार कर विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 से व्यथित होकर अपीलान्टगण द्वारा दोनों अपीलें पेश कर दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 निरस्त करने का निवेदन किया ।

7. दोनों अपीलों में अपीलान्टगण ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही अपीलान्ट की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । दिनांक 12.06.2017 को कॉज लिस्ट में प्रकरण में अगामी तारीख अंकित नहीं की गई । अपीलान्ट क्रम 1 को उक्त निर्णय की सर्वप्रथम जानकारी माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर कैम्प कोटा में विचाराधीन निगरानी संख्या 05/2864 में नियत तारीख दिनांक 17.04.2018 को न्यायालय में उपस्थित होने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. दोनों अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में लोक अदालत में निर्णय व डिक्री पारित करते हुए विभाजन प्रस्ताव के लिए तहसीलदार लाडपुरा को निर्देशित किया है । प्रतिवादी क्रम 1 गोपाल कृष्ण की मृत्यु दिनांक 05.11.2012 को हो चुकी है । उनके कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये जाने के लिए उनके वारिसान ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 06.06.2013 को प्रस्तुत किया था जिसका उल्लेख दिनांक 10.01.2014 की आदेशिका पर है । कायममुकामान की तामील के उपरान्त उनकी और से एक वकालतनामा पेश किया किया । दिनांक 17.04.2017 को तारीख पेशी दिनांक 12.06.2017 नियत की गई और इसे लोक अदालत में रखा गया दिनांक 01.06.2017 के अंकन में कटिंग हो रही है । प्रतिवादी अपीलान्ट को लोक अदालत का कोई नोटिस जारी किया नहीं गया । नोटिस की तामील भी नहीं करवायी गई कायममुकामान को रिकॉर्ड पर लिये बिना मृत व्यक्ति के खिलाफ लोक अदालत में सीपीसी के प्रावधानों की पालना किये बिना निर्णय पारित किया गया है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । पक्षकारों के मध्य कोई राजीनामा नहीं हुआ है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 निरस्त फरमाया जावे ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत की भावना से निर्णय पारित किया है जो विधि सम्मत है । अतः दोनों अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 01.06.2017 बहाल रखा जावे ।

11. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्टगण ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 17.04.2017 को आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.06.2017 दी गई और दिनांक 12.06.2017 की आदेशिका के अनुसार पत्रावली लोक अदालत को रेफर की गई और उसमें आगामी तारीख पेशी नियत की गई उसमें कटिंग हो रही है । दिनांक 12.06.2017 से पहले ही दिनांक 01.06.2017 को अपीलाधीन निर्णय पारित करते हुए विभाजन की प्राथमिक डिक्री जारी की गई है । यह आपत्ति जनक है कि दिनांक 12.06.2017 को पत्रावली को लोक अदालत हेतु रेफर किया गया है और इससे पूर्व ही दिनांक 01.06.2017 को निर्णय पारित किया गया है न तो समस्त पक्षकारान उपस्थित हुए हैं और न ही कोई राजीनामा किया गया है । सीपीसी की पालना किये बिना ही पक्षकारों की अनुपस्थिति में गुणावगुण के आधार पर लोक अदालत में निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है । हम प्रस्तुत प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीलें अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 01.06.2017 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप तनकीवार पत्रावली प्राप्ति के एक वर्ष के अन्दर निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 21.10.2019 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

14. निर्णय आज दिनांक 27.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा